31.1.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी सं0 5 व 6 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने से अप्रार्थी सं0 5 व 6 फोर्मल पक्षकार होने से इनका जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 18.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी व 151 सीपीसी पेश किया था उसे नोटप्रेस किया गया। वकील पक्षकारान ने मूल प्रार्थना पत्र पर बहस की जिसे सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मंडल अजमेर 2020RBJ राजोदेवी बनाम लेखाराम पृष्ठ 693 पेश किया। एवं अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के 2022(2)DNJ(REV) जुगलकिशोर बनाम किशनगोपाल एवं अन्य पृष्ठ 1454, पेश किये।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.5.2023 को एकतरफा बहस से वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। चुंकि प्रकरण सं0 32/2022 अनवान गणपतसिंह बनाम कोकूबाई अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 आरटीएक्ट पूर्व में इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 से विचाराधीन है। जिसमें उक्त वादग्रस्त आराजी भी एक ही है व समस्त पक्षकार भी समान है। नियमानुसार पहले उस पत्रावली का निस्तारण होना आवश्यक है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ 188 आरटीएक्ट का वाद प्रस्तुत किया है तथा विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं किया है विभाजन के वाद के बिना 188 आरटीएक्ट का वाद पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः उक्त पत्रावली में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर पत्रावली खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by UMMED SINGH
Date: 2024.03.06 17:47:46 IST
Reason: SelfAttested